>

Title: Shortage of Chemicals and Fertilizers in Gujarat.

श्री कुँवरजीभाई मोहनभाई बावलिया (राजकोट): आदरणीय सभापति महोदय, आज मैं आपका ध्यान फ्रेट सब्सिडी के दिशा-निर्देशों में किए गए परिवर्तनों के विषय में करना चाहता हूं।

महोदय, यह सर्वविदित है कि गुजरात में सहकारी ढांचा अत्यधिक विकसित है और इस ढांचे का नेटवर्क गांव तक फैला हुआ है। इस कारण से कृषि संबंधी आवश्यक सामग्री को किसानों के घर तक पहुंचाने की उत्कृष्ट व्यवस्था अस्तित्व में आयी है, किंतु उर्वरक विभाग के नए दिशा-निर्देश के अनुसार उर्वरकों के परिवहन की महत्तम सीमा को 500 किलोमीटर तक किया गया है।

गुजरात के राजकोट जिले को उर्वरक कृभको के हजारिया स्थित प्लांट से प्राप्त होते हैं। राजकोट जिले की उर्वरकों की कुल खपत 3.81 लाख मीट्रिक टन है एवं 1.90 लाख मीट्रिक टन यूरिया की खपत के साथ यह जिला गुजरात के प्रमुख कृषि उत्पादकों में से एक है। कृभको के हजारिया प्लांट से राजकोट की दूरी 500.44 किलोमीटर है, जोकि डीओएफ के नए दिशा-निर्देश द्वारा तय की गयी 500 किलोमीटर की सीमा से केवल 0.44 किलोमीटर अधिक है।

रोड परिवहन द्वारा उर्वरक कम समय एवं कम मेहनत से सीधे किसानों तक पहुंचाये जाते हैं। ऐसा होने से किसानों एवं सहकारी संगठनों को सीधा लाभ पहुंचता है। राजकोट कम वर्षा का क्षेत्र होते हुए भी अधिक खाद्यान्न एवं तैलीय बीजों का उत्पादन करता है। अगर रोड परिवहन द्वारा उर्वरकों की आपूर्ति न हो सकी तो राजकोट के किसानों की स्थिति गंभीर होने की पूर्ण संभावनाएं हैं।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि राजकोट को कृभको के हजारिया प्लांट से प्राप्त होने वाले उर्वरकों की परिवहन व्यवस्था को बरकरार रखा जाए एवं 500.44 किलोमीटर के इस अंतर को डीओएफ द्वारा स्वीकृत किया जाए।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र राजकोट है। वहां बारिश भी बहुत हुयी है। लेकिन आज कृषकों के लिए फर्टीलाइजर, यूरिया और डीएपी खाद की बहुत कमी है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि राजकोट डिस्ट्रिक्ट में यूरिया और डीएपी उर्वरक आसानी से किसानों को मिल पाए, ऐसा प्रबंध कराने की मेरी विनती है।